राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3064/2022

प्रसादी लाल सैनी —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शमा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हींगी, सिकराय, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में प्रधानाचार्य के पद पर चयनोपरान्त अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महुगुलावली, धौलपुर से महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हींगी, सिकराय, दौसा में किया गया था, जिसकी अनुपालना में प्रत्यथी विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हींगी, सिकराय, दौसा में दिनांक 08.06.2022 (अनुलग्नक–4) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में प्रधानाचार्य के पद पर चयनोपरान्त कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर चुके अधिकारियों को अपने पूर्ववत स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपीलार्थी 45 प्रतिशत शारीरिक रूप से दिव्यांग है (अनुलग्नक–5)। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा विशेष

योग्यजनों की नियुक्ति/पदस्थापन के समय उन्हे उनके इच्छित अथवा नजदीकी स्थान पर नियुक्त/पदस्थापन किए जाने पर विचार किए जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हींगी, सिकराय, दौसा में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त परिलाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी सहित कुल 121 प्रधानाचार्यो को महात्मा गांधी स्कूल्स के आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा पदस्थापित किया गया परन्तु तकनीकी कारणों से विभागीय आदेश दिनाक 05.08.2022 द्वारा उक्त पदस्थापन आदेशों की क्रियान्विति आलोच्य आदेश द्वारा स्थगित कर आदेश दिनांक 03.08.2022 की पालना में कार्यमुक्त हो चुके अथवा कार्यग्रहण कर चुके अधिकारियों को तत्काल अपने पूर्ववत स्थान हेतु कार्यमुक्त कार्यग्रंहण करने के निर्देश प्रदान किय गए, जो सामान रूप से सभी 121 प्रधानाचार्यों पर लागू किये गए ना की केवल अपीलार्थी पर। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2022 जारी हो जाने के बावजूद दिनांक 05.08.2022 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यमुक्त होकर दिनांक 06.08.2022 को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हींगी, सिकराय, दौसा में कार्यग्रहण कर लिया जो नियुक्ति अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–आर/1) को परिपत्र जारी कर यह निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी स्कूल में प्रधानाचार्यों के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखा जाएगा जिससे इन विद्यालयों में पदस्थापित किये गए शिक्षा अधिकारी सुचारू रूप से विद्यालय को संचालित कर सके। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण हेतु जारी किये गये दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को ही स्थानान्तरण आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश दिए गए है। इस आधार पर अपीलार्थी माननीय अधिकरण से प्रशासनिक आधार पर किए गए आदेश में किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1)

के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश केवल अपीलार्थी के संबंध में ही जारी नहीं किया गया है वरन् 121 अभ्यर्थियों के संबंध में जारी किया गया है। उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा कोई दुर्भावना की स्थित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–आर/1) में यह अंकित है कि ''इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखा जायेगा जिससे इन विद्यालयों में पदस्थापित किये गये शिक्षा अधिकारी सुचारू रूप से विद्यालय को संचालित कर सके।''

अतः इस प्रकार प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखे जाने के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश है। इस प्रकार केवल अपीलार्थी के हितों पर ही आलोच्य आदेश द्वारा कोई दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं उचित नहीं है। अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य